संख्या-37/2026/001-314-24-1-2026-767 BUDGET -2022

प्रेषक,

संजय शुक्ला,
विशेष सचिव।
उ0प्र शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रीष्मकाल हेतु प्रदेश में अनवतर विद्युत आपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-295/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2026-27/471, दिनांक 12 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऊर्जा विभाग के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्ष 2801-05-800-21-27 में ग्रीष्मकाल में प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 3500,00,00,000/- (रूपये तीन हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) को स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल में **रूपये 500.00 करोड (रूपये पॉच सौ करोड़) तथा** मई से सितम्बर, 2026 तक प्रतिमाह धनराशि रु0 600.00 करोड़ (रुपए छः सौ करोड़ मात्र) की पांच समान मासिक किश्तों में माह **के प्रथम सप्ताह में** अवमुक्त किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(6) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अगली किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 की शर्तो/ दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसका व्यावर्तन किसी अन्य मद हेतु नहीं किया जायेगा। प्रत्येक किश्त का उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत ही अगली क़िस्त के आहरण की अनुमति दिया जायेगा तथा वर्षांत पर सम्पूर्ण धनराशि के उपभोग का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,00,00,00,000 (रुपये पैंतीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801058002100 ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल, 2025 से सितम्बर, 2025 तक) में प्रदेश में सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-2-X-2026-27-दिनांक:13-4-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-37/2026/001-314(1)-24-1-2026-767 BUDGET -2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा -।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राजय योजना आयोग अनुभाग-1 /गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।